


## आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री आनन्द सिंह पंवार, अपर सहायक अभियन्ता	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर	जनहित

श्री आनन्द सिंह पंवार, अपर सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री पंवार का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


  
(डा० अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

### कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1619 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09 जून 2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री आनन्द सिंह पंवार, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री पंवार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर को निर्देश के साथ कि श्री पंवार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र०सं०	कार्मिका का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मुकेश कुमार सैनी, अपर सहायक अभियन्ता	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	अनुरोध पर

श्री मुकेश कुमार सैनी, अपर सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सैनी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


  
(डा० अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

### कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/1620 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09 जून-2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री मुकेश कुमार सैनी, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सैनी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को निर्देश के साथ कि श्री सैनी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून